FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी)** मुकाम **बेगूँ**

पप्पू उर्फ प्रकाशचन्द्र पिता स्व. घीसुलाल जाति माली निवासी बेगूँ
तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

बनाम

जगदीशचन्द्र पिता स्व. घीसुलाल जाति माली, निवासी बेगूँ
तहसील बेगूँ व जिला चित्तौड़गढ़ राज.

अ0धा0 88–188–53 आर0टी.एक्ट. वादपत्र संख्या : 20/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.12.2017	पत्रावली आज लोक अदालत में सुनवायी हेतु रखायी गयी। उभयपक्ष उपस्थित! पत्रावली में पेशी दिनांक 04/01/2018 नियत थी, तथापि वकील वादी द्वारा प्रकरण विद–ड्रॉ किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण सुनवायी की जाकर निस्तारणार्थ लोक अदालत में रखाया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होने से लोक अदालत भावना से प्रकरण निस्तारित करते हुए कार्यवाही ड्रोप की जावे! साथ ही प्रार्थना पत्र अं.धा. 212 आर.टी. एक्ट पत्रावली तलब की जाकर कार्यवाही ड्रोप फरमाने का निवेदन किया गया है। हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर वकील वादी/प्रार्थी को सुना गया। चूँकि दोनों पक्षों में लोक अदालत भावना से आपस में राजीनामा हो जाने से वादी/प्रार्थी प्रकरण विद–ड्रो करवाना चाहते हैं, जो कि न्यायोचित है। अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 88–188–53 आर.टी. एक्ट में लोक अदालत भावना से आपस में राजीनामा होने से प्रकरण में आगामी कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम होकर दाखित दफ्तर हो। (रागिनी डामोर) सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ	